

**सूक्ष्म बीमा खंड के लिए संयुक्त (कांबी) उत्पाद अभिकल्पित करने संबंधी समिति की रिपोर्ट**  
**Report of the Committee on designing of Combi Products for Micro Insurance segment**

आईआरडीएआई को सूक्ष्म बीमा के लिए एक संयुक्त (कांबी) उत्पाद अभिकल्पित करने की अनुमति देने लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं, जोकि एक ऐसा विचार है जो लक्ष्य समूहों के लिए व्यापक समग्र सेवा (वन स्टाप) समाधान की आवश्यकता पूरी करता है। इसके लिए वर्तमान कानूनी ढाँचे में एवं आईआरडीएआई के विनियमों में संशोधन आवश्यक हो सकते हैं।

IRDAI has received suggestions to allow designing a Combi product for Micro-insurance, an idea that serves the need for a comprehensive one-stop solution for the target groups. This may require amendments to extant legal framework as well as IRDAI Regulations.

आईआरडीएआई ने सूक्ष्म बीमा खंड हेतु कांबी उत्पादों की संकल्पना का अध्ययन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वतंत्र परामर्शदाताओं तथा बीमा उद्योग और विनियामक क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव से युक्त अन्य व्यक्तियों से सदस्यों को लेकर एक समिति का गठन फरवरी 2020 में किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो अब जनसाधारण की सूचना के लिए हमारी वेबसाइट पर प्रस्तुत की जा रही है तथा सभी हितधारकों से इस संबंध में टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

IRDAI has constituted a committee in February 2020 consisting of members from NGOs, Independent Consultants and other persons having experience of working in Insurance Industry and regulatory fields, to study the concept of Combi Products for Micro Insurance segment. The Committee has since submitted its Report which is now being put up on our web site for the information of public and Comments are invited from all the stakeholders.

**टिप्पणियों के लिए टैम्प्लेट / Template for Comments**

पृष्ठ सं./खंड/पैराग्राफ का संदर्भ Page No/Section / Paragraph reference	टिप्पणी Comment

टिप्पणियाँ सुश्री डी.ज्ञानप्रसूना, सहायक महाप्रबंधक, जीवन बीमा विभाग को निम्नलिखित पते पर भेजी जाएँ।

The comments may be sent to Ms D Gyanaprasuna, AGM, Life Insurance Department at the address mentioned below.

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,**  
**सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगूडा,**  
**गच्चीबौली, हैदराबाद-500032 (तेलंगाना) भारत**  
**Insurance Regulatory and Development Authority of India,**  
**Survey No 115/1, Financial District, Nanakramguda,**

**Gachibowli, Hyderabad- 500032 (Telangana state) India**

**ई-मेल / Email: [d.gyanaprasuna@irdai.gov.in](mailto:d.gyanaprasuna@irdai.gov.in)**

**प्रतिसूचना (फीडबैक) प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख 15 मई 2022 है।**  
**The last date for submitting feedback is 15<sup>th</sup> May 2022.**

**मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा)**

**Chief General Manager (Life Insurance)**